

कार्यालय उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, उज्जैन

क्रमांक/8  
प्रति,

/पीपीयू/12/11/नग्रानि

उज्जैन, दिनांक

श्री दशरथसिंह पटेल

3/2, महाकाल वाणिज्यक केन्द्र, नानाखेडा

उज्जैन

विषय :- ग्राम डेडिया सर्वे क्रमांक 101 रकबा 3.208 मे से 2.984 हेक्टर भूमि पर होटल, बारातघर (मंगल भवन) एवं क्लब हेतु स्थल अनुमोदन बाबद।


संदर्भ :- आपका आवेदन दिनांक 07.04.11 एवं प्रस्तुत जानकारी दिनांक 8.8.11

-0-

उपरोक्त विषय में आपके संदर्भित आवेदन दिनांक 07.04.11 द्वारा उपलब्ध कराये गए दस्तावेजों के आधार पर एतद् द्वारा म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 30 (1) (ख) तथा म0प्र0 भूमि विकास नियम 1984 के नियम 2 (5) (क) एवं नियम 27 के अधीन ग्राम डेडिया तहसील एवं जिला उज्जैन सर्वे क्रमांक 101 रकबा 3.208 मे से 2.984 हेक्टर भूमि पर संलग्न मानचित्र में लाल रंग से किये गये संशोधन अनुसार होटल, बारातघर (मंगल भवन) एवं क्लब हेतु स्थल अनुमोदित कर विकास अनुज्ञा निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए दी जाती हैं:-

- 1 विषयांकित भूमि के सामने स्थित सावेर मार्ग की, उज्जैन विकास योजना में 60.0 मीटर चौड़ाई प्रस्तावित है। अतः वर्तमान मार्ग मध्य से 30.0 मीटर तक भूमि मार्ग विस्तार हेतु छोड़ना अनिवार्य होगा एवं सावेर रोड पर सीधे प्रवेश वर्जित रहेगा। मानचित्र मे दर्शाये 9.0 मीटर सर्विस रोड का निर्माण यआवेदक को स्वये के व्यय पर करना अनिवार्य होगा ।
- 2 भूतल पर अधिकतम निर्मित क्षेत्र 30.0% तथा अधिकतम फर्शी क्षेत्र अनुपात 1:1.0 (एक अनुपात एक दशमलव शून्य) मान्य होगा। आवेदक के प्रस्ताव अनुसार होटल हेतु 18.0मी.,(जी+5), क्लब हेतु 10.0मी.,(जी+2) एवं बारातघर हेतु 12.0मी. (जी+3) अधिकतम उँचाई मान्य होगी। संलग्न स्थल मानचित्र में दर्शाये मार्जिनल ओपन स्पेस को स्थल पर यथावत छोडा जाना आवश्यक होगा। जिसपर किसी भी प्रकार का निर्माण मान्य नहीं होगा ।
- 3 म0प्र0 ग्राम पंचायत (भवनों के परिनिर्माण) आदर्श उपविधियों 1999 के अन्तर्गत भवन निर्माण अनुज्ञा ग्राम पंचायत, डेडिया से प्राप्त करना होगी।



- 4 संलग्न मानचित्र में दर्शाये अनुसार कुल भूमि का 35 प्रतिशत क्षेत्र वाहन पार्किंग हेतु छोड़ा जावे । मेरिज गार्डन के संचालन के संबंध में कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक दिनांक 15.12.10 के कार्यवाही विवरण में उल्लेखित समस्त दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावे ।
- 5 म.प्र. भूमि विकास नियम 1984 के नियम 81 परिशिष्ट "ठ" एव ठ-क के प्रावधानों के अनुसार पार्किंग हेतु प्रावधान रखना आवश्यक होगा । पार्किंग व्यवस्था स्वयं के परिसर में ही करना अनिवार्य होगा । किसी भी दशा में वाहन पार्किंग मुख्य मार्ग पर स्वीकार्य नहीं होगी ।
- 6 म.प्र.भूमि विकास नियम 1984 के नियम 78 (4) के प्रावधानों के अनुसार निर्मित होने वाले भवनों में शहरी जल प्रदाय प्रणाली रेन वाटर हार्वेस्टिंग की प्रक्रिया अपनानी होगी । इसके पश्चात ही भूखंड पर जल विद्युत कनेक्शन संबंधी संस्थाओं के द्वारा किया जा सकेगा ।
- 7 भवन का निर्माण भूकम्प अवरोधी तकनीकी के अनुसार एवं निर्धारित मानकों के अनुसार करना होगा । किसी भी प्रकार की डिजाईन फाल्ट एवं स्वीकृति के विपरीत निर्माण की अवस्था में संभावित हानि संबंधी समस्त जवाबदारी आवेदक की होगी ।
- 8 सक्षम प्राधिकारी, नगर भूमि सीमा, नजूल एव अन्य संबंधित विभागों से उनके नियमों/अधिनियमों के अन्तर्गत आवश्यक अनापत्ति/अनुज्ञा प्राप्त की जावे ।
- 9 संलग्न मानचित्र को भू-स्वामित्व का दस्तावेज नहीं समझा जावे ।
- 10 भूमि का भू-व्यपवर्तन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), उज्जैन से उनके नियमों/अधिनियमों के तहत अप्राप्त करना अनिवार्य होगा ।
- 11 यह अनुज्ञा पत्र जारी होने के दिनांक से अधिकतम 3 वर्ष तक मान्य रहेगी, समयावधि बढ़ाने हेतु आवेदन नियत समयावधि के पूर्व कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
- 12 यह अनुज्ञा केवल होटल, बारातघर (मंगल भवन) एवं क्लब उपयोग हेतु दी गई है । इसे किसी भी प्रकार के भूखंड/उप-विभाजन की अनुमति नहीं माना जावे 

- 13 किसी भी प्रकार के भू-स्वामित्व संबंधी विवाद उत्पन्न होने पर अथवा उपलब्ध करायी गई जानकारी असत्य पाई जाने पर या इस अनुज्ञा की शर्तों का उल्लंघन होने पर यह अनुज्ञा म0प्र0 भूमि विकास नियम 1984 के नियम 25 के तहत प्रतिसंहत की जा सकेगी

संलग्न:- एक स्वीकृत मानचित्र


उप संचालक  
नगर तथा ग्राम निवेश  
उज्जैन

पृ.क्रमांक 1868 /पीपीयू/12/11/नग्रानि  
प्रतिलिपि:-

उज्जैन, दिनांक 25/8/2011

- 1 अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), उज्जैन की ओर लेख है कि भूमि के स्वामित्व के संबंध में किसी प्रकार का विवाद कार्यालय में प्रचलन में हो तो इस कार्यालय को अवगत करावें तथा इस अनुमति के आधार पर कोई कार्यवाही न करें।
- 2 सरपंच, ग्राम पंचायत, डेडिया तहसील एवं जिला उज्जैन की ओर कृपया सूचनार्थ होकर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
- 3 जिला पंजीयक, जिला उज्जैन की ओर अग्रेषित कर लेख है कि वर्ष 2010-11 के बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धांत अनुसार विषयांकित भूमि का मूल्य रूपये 65,00,000/-प्रति हेक्टर की दर के मान से विकास अनुज्ञा शुल्क जमा कराया गया है। यदि दर इससे भिन्न हो तो कृपया अवगत कराने का कष्ट करें।

4. वेबसाइट प्रति  
संलग्न:- एक स्वीकृत मानचित्र

  
उप संचालक  
नगर तथा ग्राम निवेश  
उज्जैन